निर्णय बईजलास डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी आई0ए0एस0 जिला कलक्टर,झालावाड़

मि0न0 23 / अपील / 18

पूरसिंह आ0 चंदरसिंह जाति सोंधिया नि0 बोरबन्द तहसील पिड़ावा(अपीलान्ट)
बनाम
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पिड़ावा (रेस्पो0)

अपील बनाराजी निर्णय तहसीलदार पिड़ावा दिनांक 09.11.2017 मिसल न0 51 / 2017

उपस्थितः— श्री सुदामा राठोर अभिभाषक अपीलान्ट
पेरोकार सरकार

—: निर्णय :— **दिनांकः 22.05.2018**

यह अपील अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पिड़ावा के आदेश दिनांक 09.11.2017 जो मिसल न0 51 / 17 पर दिया गया जिसमें अपीलान्ट्स को ग्राम बोरबन्द की आराजी ख0न0 50 की .1.15 बीघा का अतिक्रमी मानकर 66 / —रू. शास्ती व 90 दिन के सिविल कारावास से दण्डित किया से अप्रसन्न होकर पेश की गई है। अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने अपील मेंमों में निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का फैसला विधि एंव पत्रावली संग्रहसार के सर्वथा विरूद्ध व विधि के सिद्वान्तो के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अपीलार्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने समुचित अवसर प्रदान नही किया गया है। रिपोर्ट पटवारी दुर्भावनावश गलत दी गई है अपीलान्ट का किसी सरकारी भूमि पर अतिक्रमी के तौर पर कब्जा नही रहा है कब्जा पूर्व में छोड़ चुका है। दौराने ट्रायल अधीनस्थ न्यायालय में कोई स्वतन्त्र साक्ष्य नही ली गई है निर्णय अधीनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है। अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

अभिभाषक अपीलान्ट ने दौराने बहस अपील मेंमों की पुष्ठी करते हुए आगे व्यक्त किया कि अपीलान्ट का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा नही है और ना ही उसके द्वारा आराजी पर फसल काश्त की गई है,अपीलान्ट द्वारा आराजी पर से कब्जा हटा लिया गया है व पेनेल्टी की राशि भी जमा राज करवादी गई है। अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे। पेरोकार सरकार ने व्यक्त किया कि अपीलान्ट द्वारा सरकारी किस्म बीड प्रथम पर अतिक्रमण किया गया है जो पश्चातवर्ती अतिक्रमण है, अपील खारिज की जावे।

हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया तथा बहस उभय पक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा पूर्व में भी इसी आराजी पर अतिक्रमण किया जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मिसल न0 1230 / 16 निर्णय दिनांक 21.10.2016 से अपीलान्ट को उक्त आराजी पर से बेदखल किया जाकर 66 / — रू. की शास्ती से दण्डित किया गया था जिसका अंकन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में किया गया है। अपीलान्ट द्वारा उक्त आराजी पर से अतिक्रमण नही हटाया गया है जिसकी पुष्ठी अधीनस्थ न्यायालय में संलग्न रिपोर्ट पटवारी से होती है। अपीलान्ट का यह कृत्य पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार झालरापाटन् द्वारा पारित निर्णय में हम किसी तरह का हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझते हैं अपीलान्ट को इस अपील के माध्यम से किसी तरह का अनुतोष प्रदान नही किया जा सकता। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । पत्रावली फेसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ वापस लोटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 22.05.2018 को मेरें द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ.जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर
झालावाड़

जिला कलक्टर
झालावाड़